न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (71)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला-अशोकनगर

R - 3074 - II/14

हरीसिंह पुत्र बादलसिंह यादव, निवासी ग्राम विजयपुरा, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

— आवेदक

विरूद्ध

रामशरन पुत्र बादलसिंह यादव, ग्राम विजयपुरा, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 12.9.14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 25 /2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23.06.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

12/9/14

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यहकि, ग्राम विजयपुरा, तहसील ईसागढ़ में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक ... रकबा 2.717 हैक्टयर संयुक्त रूप से आवेदक एवं अनावेदक के नाम 1/2 भाग पर अंकित होकर भूमि का बंटवारा हेतु आवेदन पत्र नायब तहसीलदार, वृत्त रातसखेड़ी, तहसील ईसागढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसका सूचनापत्र प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में यह आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी, कि अनावेदक द्वारा बंटवारे का जो आवेदनपत्र प्रस्तुत किया है, वह प्रचलन योग्य ही नहीं है क्योंकि उपरोक्त प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न समाहित है, ऐसी स्थिति में बंटवारा कार्यवाही स्थगित की जाये। तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की उक्त वैधानिक आपत्ति को अमान्य किये जाने का आदेश दिनांक 15.10.2010 को पारित किया गया था।

2. यहकि, नायब तहसीलदार, ईसागढ़, द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा पुनरीक्षण अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3074–दो/14 जिला–अशोकनगर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
05–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सी0 एम0 गुप्ता उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया जाकर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की तथा बताया गया है कि प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालय में हो चुका है। इस न्यायालय में अब निगरानी का चलाने को कोई औचित्य नहीं है। 2– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को के अनुसार तथा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की छाया प्रति के अनुसार अब यह निगरानी इस न्यायालय में संचालित करने के कोई औचित्य नहीं होने से इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	